डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर झाडोल, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अक्षय गोदारा I.A.S.

अनवान

1. श्री लाला पिता भेरा भील निवासी भकुम्बा तहसील झाडोल जिला उदयपुर।

–वादी

बनाम

1. श्री धर्मचंद पिता होमा भील निवासी भकुम्बा तहसील झाडोल जिला उदयपुर।
2. श्री नरेश पिता धर्मचंद भील निवासी भकुम्बा तहसील झाडोल जिला उदयपुर।
3. श्री हामिरा पिता कल्ला भील निवासी भकुम्बा तहसील झाडोल जिला उदयपुर।
4. श्री देवा पिता कल्ला भील निवासी भकुम्बा तहसील झाडोल जिला उदयपुर।
5. श्री शांतिलाल पिता हामिरा भील निवासी भकुम्बा तहसील झाडोल जिला उदयपुर।
6. श्री प्रेम पिता देवीलाल भील निवासी भकुम्बा तहसील झाडोल जिला उदयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नंबर 35/2018 वाद

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू अक्षय गोदारा IAS मिनजनिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:–

वादी का वाद अंतर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा भकुम्बा, पटवार सर्कल बिरोठी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पानरवा, तहसील झाडोल की नकल जमाबंदी संवत् 2072–75 में आराजी सं. 76, 535, 646, 647, 648, 652, 655, 658, 721, 722 कुल किता 10 कुल रकबा 0.88 एवं आराजी सं. 814/4 कुल किता 1 कुल रकबा 0.09 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीगण वादी को शांतिपूर्वक उपयोग करने देवे। वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करे, न तो वादी की भूमि में प्रवेश करे, न ही वादी के भूमि में किसी प्रकार की तोड फोड ही करे, न तो ऐसा कार्य स्वंय ऐसा कर, न ही अपने नौकर, रिश्तेदार आदि से करावे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.02.2021 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर, झाडोल, जिला उदयपुर

Akshay

(अक्षय गोदारा IAS)

सहायक कलक्टर झाडोल
जिला उदयपुर

सहायक कलक्टर
झाडोल (फ), जिला उदयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर झाडोल जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री अक्षय गोदारा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 35/2018 वाद

अनवान

1. श्री लाला पिता भेरा भील निवासी भकुम्बा तहसील झाडोल जिला उदयपुर।

–वादी

बनाम

1. श्री धर्मचंद पिता होमा भील निवासी भकुम्बा तहसील झाडोल जिला उदयपुर।
2. श्री नरेश पिता धर्मचंद भील निवासी भकुम्बा तहसील झाडोल जिला उदयपुर।
3. श्री हामिरा पिता कल्ला भील निवासी भकुम्बा तहसील झाडोल जिला उदयपुर।
4. श्री देवा पिता कल्ला भील निवासी भकुम्बा तहसील झाडोल जिला उदयपुर।
5. श्री शांतिलाल पिता हामिरा भील निवासी भकुम्बा तहसील झाडोल जिला उदयपुर।
6. श्री प्रेम पिता देवीलाल भील निवासी भकुम्बा तहसील झाडोल जिला उदयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक–24.02.2021

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद इस प्रकार है कि मौजा भकुम्बा, पटवार हल्का बिरोठी, भू–अभिलेख निरीक्षक पानरवा, तहसील झाडोल उदयपुर में वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि निम्न प्रकार से है:–

क.सं.	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	76	0.17	0.27
2	535	0.06	0.28
3	646	0.02	0.09
4	647	0.18	0.84
5	648	0.06	0.19
6	652	0.03	0.00
7	655	0.12	0.56
8	658	0.04	0.12
9	721	0.08	0.38
10	722	0.12	0.56
11	814/4	0.09	0.28
कुल किता	**11**	**0.97**	**3.57**

2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी को अपने भाई के बापी बटवाडे में प्राप्त हुई कृषि भूमि है जो बटवाडा करीब 8–10 वर्ष पूर्व हुआ तभी से वादी वर्णित कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है।

Akshay

सहायक कलक्टर
झाडोल (फ), जिला उदयपुर

यह कि प्रतिवादीगण वादी के मृतक भाई भाईयो के लडके है जिनकी वर्णित कृषि भूमि के पडौस में कृषि भूमि आ गई है। वादी के भाईयो की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादीगण के मन में भारी बदनियती आ गई है और ये लोग कभी वादी की भूमि में प्रवेश कर वादी की भूमि को अपना होना बताते है तो कभी वादी की बाड को नुकसान पहूँचाने की धमकी देते है जबकि प्रतिवादीगण का वर्णित भूमि से कोई सरोकार नही है ऐसी स्थिति में वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्थाई निषेधाज्ञा का दावीदार है।

4. यह कि वाद पत्र के कलम सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि जिस पर प्रतिवादीगण के बाप दादाओ के वक्त से वादी का आधिपत्य चला आ रहा है इसी भूमि में वादी के मकानात/झौपडे, मवेशीघर व बाडे बने हुए है। प्रतिवादीगण वादी को उक्त वर्णित कृषि भूमि को वादी के हिस्से से बेदखल करने का तत्पर है जिसका प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नही है।
5. यह कि वादी वृद्व व्यक्ति होकर न्याय व कानून में विश्वास करने वाला व्यक्ति है जबकि प्रतिवादीगण संख्या में अधिक होकर वादी को उसके बाप दादाओ की वक्त की मौरूसी भूमि से बलपूर्वक मौके से बेदखल करने पर आमादा है जबकि वादी को वर्णित भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करने का विधिक अधिकार है।
6. यह कि वाद कारण ग्राम भकुम्बा तहसील झाडोल में जब प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज रूप से वादी की उक्त मौरूसी जमीन में जबरन रास्ता बनाने पर आमादा हुए तब उत्पन्न हुआ जो आज भी जारी है।
7. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण ग्राम भकुम्बा तहसील झाडोल के निवासीयान है एवं वाद कारण भी ग्राम भकुम्बा तहसील झाडोल में उत्पन्न होने से उक्त वाद के श्रवण का अधिकार आप न्यायालय को प्राप्त है।
8. वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि वादी प्रार्थी है वादी के पक्ष में वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री प्रदान करावे कि वाद पत्र की कलम नं. 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादीगण वादी के शांतिपूर्वक आधिपत्य में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करे, न भूमि में प्रवेश करे, न ही वादी के भूमि में किसी प्रकार की तोड फोड ही करे, न तो ऐसा कार्य स्वंय ऐसा करे, न ही अपने नौकर, रिश्तेदार आदि से करावे।
9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया।
10. दिनांक 20.08.19 को प्रतिवादी सं. 1, 3, एवं 4 की ओर से वकील श्री तापस मेघवाल द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 2, 5 एवं 6 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए। न्यायालय द्वारा विधिवत आवाज दिलवाई गई। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
11. दिनांक 17.03.20 को प्रतिवादी सं. 1 व 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत नही करना बताया गया है तथा दिनांक 26.10.20 को प्रतिवादी सं. 4 ने भी न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत नही करना बताया गया है।
12. दिनांक 08.02.21 को न्यायालय में उपस्थित होकर वादी ने अपने बयान जो पी–डब्ल्यू–1 में दर्ज कराये गये। प्रदर्श के तौर पर जमाबंदी संवत् 2072 मौजा भकुम्बा पटवार हल्का बिरोठी खाता संख्या 54 की नकल (प्रदर्श 1) खाता संख्या 55 की नकल (प्रदर्श 2) पेश किया।

Akshay

13. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रकरण में वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 में मौजा भकुम्बा, पटवार सर्कल बिरोठी, भू–अभिलेख निरीक्षक

सहायक ... झाडोल (फ), जिला उदयपुर

क्षेत्र पानरवा, तहसील झाडोल की नकल जमाबंदी संवत् 2072–75 पेश की है। प्रदर्श 1 से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सं. 76, 535, 646, 647, 648, 652, 655, 658, 721, 722 कुल किता 10 कुल रकबा 0.88 एवं 1.58 हैक्टर वर्तमान में लाला पिता भैरा भील के नाम दर्ज है। प्रदर्श 2 में मौजा भकुम्बा, पटवार सर्कल बिरोठी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पानरवा, तहसील झाडोल की नकल जमाबंदी संवत् 2072–75 पेश की है। प्रदर्श 2 से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सं. 814/4 कुल किता 1 कुल रकबा 0.09 वर्तमान में लाला पिता भेरा भील के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नही है।

10. प्रतिवादीगण जिनकी वादी की वादोक्त भूमि से कोई सरोकार नही होते हुए भी जबरन वादी को बेदखल करना चाहते है व वादी के भूमि उपयोग में दखलन्दाजी करते है।

अतः प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से रोका जाना आवश्यक है। अतः वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अंतर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा भकुम्बा, पटवार सर्कल बिरोठी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पानरवा, तहसील झाडोल की नकल जमाबंदी संवत् 2072–75 में आराजी सं. 76, 535, 646, 647, 648, 652, 655, 658, 721, 722 कुल किता 10 कुल रकबा 0.88 एवं आराजी सं. 814/4 कुल किता 1 कुल रकबा 0.09 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीगण वादी को शांतिपूर्वक उपयोग करने देवे। वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करे, न तो वादी की भूमि में प्रवेश करे, न ही वादी के भूमि में किसी प्रकार की तोड फोड करे, न तो ऐसा कार्य स्वंय ऐसा कर, न ही अपने नौकर, रिश्तेदार आदि से करावे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Akshay

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर झाडोल
जिला उदयपुर